यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी (बेसिक), चमोली** के माह 11/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी (बेसिक), चमोली के माह 11/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ; श्री डी.एन. मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21/01/2019 से 25/01/2019 तक श्री राम सनेही, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा जनपद में संचालित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण विद्यालयों अनुश्रवण करना। वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) का कार्यालय जनपद चमोली के गोपेश्वर में स्थित है।

(अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु मे)

वित्तीय वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत/अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	4820000	303000	4804600	289484	15400	13516
2016-17	5933805	349190	5933805	340487	-	8703
2017-18	7152000	120000	6901997	100415	250003	19585
2018-19	7682000	230000	5996104	36437	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

-----------------शून्य----------------

(ii) इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राज्य सरकार / भारत सरकार है।

(iii) इकाई की श्रेणी “सी0 ” है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (विद्यालयी शिक्षा)

↓

महानिदेशक(विद्यालयी शिक्षा)

↓

निदेशक (बेसिक)

↓

अपर निदेशक (बेसिक शिक्षा)

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक शिक्षा)

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी (बेसिक), चमोली की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी (बेसिक) चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016,03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) के शासनादेश संख्या 623/XXIV/(1) / 2013-R-467 /2011 दिनांक 27 जून 2013, के विषय :- उत्तराखण्ड नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, के प्रख्यापन के उपरान्त अशासकीय पूर्व मद्यमिक (जूनियर हाईस्कूल) प्राथमिक /नर्सरी विद्यालयों की मान्यता शर्तों के सम्बन्ध में, बिन्दु (6) मान्यता के मानक (ख) आधारभूत संरचना (1) भवन – विद्यालय सोसाइटी को आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर उपलब्ध होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जाएगा । किरायानामा विधिवत पंजीकृत होना एवं विद्यालय की वित्तीय स्थिति सुद्दढ़ होना आवश्यक है । साथ ही विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह–आवेदन पत्र में (छ) अन्य सुविधाएं 1-11 के अनुसार अग्नि से बचाव की व्यवस्था भी आवश्यक है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा चमोली में **संलग्रक सूची** में उल्लेखित विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि किराए के विद्यालय भवनों का कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं थे । तथा विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह–आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक अग्नि से बचाव की व्यवस्था का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाये गए । तदनुसार मान्यता हेतु आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित की गई । अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित किए जाने के दौरान, अग्नि से बचाव की व्यवस्था की अनदेखी किए जाने से जहां एक ओर विध्यार्थियों की जान जोखिम में डाली गई वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवनों का किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पंजीकरण शुल्क का अदेय लाभ विद्यालय प्रवंधनों को दिये जाने से शासकीय राजस्व की हानि भी हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि किराए के भवनों में संचालित विद्यालयों को एक वर्ष की मान्यता प्रदत्त की गई है। इकाई का उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि किराए के भवनों के संबंध में किराएनामा कम से कम 10 वर्ष के लिए पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य था तदनुसार किरायानामा पंजीकृत कराये बिना विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित किया जाना उपरोक्त नियमों की अवहेलना थी। अतः विद्यालय भवनों का किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने तथा अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1- जिला योजना के 216 निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं कराया जाना धनराशि रुपये 948.28 लाख

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय प्रवंधन समिति (एस.एम.सी.) द्वारा निर्माण कार्य सम्पादित किए जाने हेतु प्रावधान एस.एम.सी.संदर्भ पुस्तिका के पृष्ठ 58 से 60 तक के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार विद्यालय प्रवंधन समिति (एस.एम.सी.) सामग्री की गुणवत्ता व सदुपयोग के बारे में आश्वस्त करेगी । विद्यालय प्रवंधन समिति (एस.एम.सी.) पचास प्रतिशत की प्रथम किस्त लेने पर और कार्य का अनुबन्ध हस्ताक्षर करके निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने का प्रवन्ध करेगी । बिन्दु 12-13 के अनुसार विद्यालय प्रवंधन समिति (एस.एम.सी.) नियमित रूप से निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगी,स्टाक रजिस्टर और कैश बुक का रखरखाव करेगी तथा बिन्दु 14 के अनुसार अवर अभियंता /सहायक अभियन्ता विद्यालय प्रवंधन समिति (एस.एम.सी.) के कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहयोग करेंगे ।

जिलाधिकारी चमोली द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के निर्माण कार्यों के सम्पादन किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में विद्यालय प्रवंधन समिति (एस.एम.सी.) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति निम्नानुसार की गई थी ।

वित्तीय वर्ष	कार्यो की सं.	स्वीकृत धनराशि (लाख रु. में)	कार्यदायी संस्था
2016-17	97	500	विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.)
2017-18	41	137.89	विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.)
2018-19	78	310.39	विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.)
योग	216	948.28	--

उपरोक्त 216 निर्माण कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी, चमोली द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के निर्माण कार्यों के सम्पादन किए जाने हेतु निर्धारित मानकों में-

1. एस.एम.सी. द्वारा निर्माण कार्यों का नियमित रूप से किए गए निरीक्षण रिपोर्टों के साक्ष्य नहीं पाये गए ।

2. निर्माण कार्यों के स्टाक रजिस्टर और कैश बुक नहीं पाये गए ।

3. अवर अभियंता /सहायक अभियन्ता द्वारा विद्यालय प्रवंधन समिति (एस.एम.सी.) के कार्यों का समय-समय पर किए गए निरीक्षण रिपोर्टों के साक्ष्य नहीं पाये गए ।

4. एस.एम.सी. द्वारा किए गए अनुबन्ध हस्ताक्षर करके निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने सम्बन्धी प्रमाण सहायक अभियन्ता द्वारा प्रमाणित नहीं पाये गए ।

5. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराये जाने के साक्ष्य नहीं पाये गए ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा दिये गए बिन्दुवार समस्त उत्तर नकारात्मक थे। जिसके परिणामस्वरूप रुपये 948.28 लाख की धनराशि के 216 निर्माण कार्यों के एस.एम.सी. द्वारा नियमित रूप से किए गए निरीक्षण, कार्यों के स्टाक रजिस्टर और कैश बुकों का रखरखाव, अवर अभियंता /सहायक अभियन्ता द्वारा समय-समय पर किए गए निरीक्षण रिपोर्टों के साक्ष्य, एस.एम.सी. द्वारा किए गए अनुबन्ध तथा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच के साक्ष्यों के अभाव में सत्यापन किया जाना संभव नहीं था । अतः जिला योजना के रुपये 948.28 लाख की धनराशि के 216 निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-2- विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की तैनाती नहीं किए जाने के कारण शासकीय निर्देशों की अवहेलना ।

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या /XXIV-2 / 2012-6(3) /2012 दिनांक 09 अक्तूवर 2012, के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुनर्गठित नवीनतम ढांचे के अनुरूप निदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर तक के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व विभाजन के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.) के कार्य एवं दायित्व बिन्दु संख्या 5 के अधीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना निर्देशित है।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), चमोली के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनपद चमोली में संचालित अधिकांश प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्र एवं उनमें पदस्थापित शिक्षकों का छात्र-शिक्षक अनुपात शासकीय मानकों के अनुसार नहीं था । नमूना जांच के अनुसार जहाँ एक ओर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बदियासेम, विकास खण्ड गैरसैण में 27 छात्रों के सापेक्ष, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुनीगाड़ में 17 छात्रों के सापेक्ष शून्य शिक्षक तैनात किए गये थे वहीं दूसरी ओर उसी विकास खण्ड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बुखाराखेत तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय निगलानी में क्रमश: 14 एवं 16 छत्रों के सापेक्ष 2-2 शिक्षक तैनात किए गये थे इसी प्रकार जनपद के अन्य विद्यालयों में भी छात्र-शिक्षक अनुपात **संलग्नक "क"** के अनुसार और अधिकतम 5 छात्र संख्या वाले कुल 56 विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती **संलग्नक "ख"** के अनुसार पाई गई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि**,** संलग्नक "ख" में उल्लेखित विद्यालय 01 किलोमीटर की परिधि से बाहर हैं इसलिए बंद नहीं किया जाता है । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विद्यालयों के 01 किलोमीटर की परिधि की दूरी के सम्बंध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए ।

आगे यह प्रश्न किए जाने पर कि शून्य संख्या वाले विद्यालयों का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है तो इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि वर्तमान में इस कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था की जाती है साथ ही यह कि विद्यालयों में नियुक्ति / स्थानांतरण काउंसिलिंग के माध्यम से होती है छूटे हुये विद्यालयों में स्थाई नियुक्ति होने तक उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अस्थाई व्यवस्था की जाती है । इकाई का यह उत्तर भी मान्य नहीं था क्योंकि जहाँ एक ओर कुछ राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 27 छत्रों के सापेक्ष शून्य शिक्षक तैनात किए गये थे वहीं दूसरी ओर उसी विकास खण्ड में 14,16 छत्रों के सापेक्ष 2-2 शिक्षक तैनात किए गये थे। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) के कार्य एवं दायित्व बिन्दु संख्या 5 के अधीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का प्रभावी अनुश्रवण इकाई द्वारा नहीं किया जा रहा था । अतः विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की तैनाती नहीं किए जाने के कारण शासकीय निर्देशों की अवहेलना किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

(i) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी (बेसिक) चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेख -शून्य

1. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गय**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री खुशाल लाल	आहरण वितरण अधिकारी	08.03.2012 से 31.01.2013
2.	श्री लक्छम सिंह	आहरण वितरण अधिकारी	01.02.2013 से 27.11.2013
3.	श्री आनंद सिंह	आहरण वितरण अधिकारी	28.11.2013 से 10.09.2014
4.	श्री रमेश राम	आहरण वितरण अधिकारी	11.09.2014 से 31.11.2015
5.	श्री गिरीश चंद	आहरण वितरण अधिकारी	01.12.2015 से 09.09.2018
6.	परवीन कौर	आहरण वितरण अधिकारी	10.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी (बेसिक), चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.